न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—192/2022 दायर दिनांक 27.07.2022

जीसीएमएस आई0डी0:—2022/479

सम्पति पत्नि हरसहाय जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—सायल—

बनाम

1. घनश्याम } पिसरान
2. सुआबाई } जौहरी
3. विष्णु } माता
4. गेपाल } उगन्ती
5. पप्पू } माता
6. गोपाल } कौशल्या

जाति ब्राहम्ण निवासी कटकड तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

7. शिवदयाल
8. रमेश
9. रोशन

पिसरान गिर्राज जाति राणा निवासी कटकड हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

10. खिलाडी
11. बृजलाल
12. सिया

पिसरान श्रीमन जाति ब्राहम्ण निवासी कटकड तहसील हिण्डौन सिटी राजस्थान

13. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राज0।

——गैरसायलान—13

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री अशोक नीमनका वकील सायलान
2. श्री राधेश्याम शर्मा गैरसायलान
3. श्री मोहन अवस्थी गैरसायलान

निर्णय दिनांकः—

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 3902 रकबा 2.60 है0 स्थित ग्राम कटकड, तहसील हिण्डौन में सायला 20/49 हिस्से की खातेदार काश्तकार है, जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

बांका दिनांक 10.07.2022 को वादिया अपने हिस्से की सार—संभाल कर रही थी कि गैरसायलान एकराय होकर आये एवं कहने लगे कि तुम्हारे पास अधिक भूमि पर कब्जा है इसलिये अब हम तुम्हारे हिस्से की काश्त करेंगे और तुम हमारे हिस्से को काश्त करों, सायला ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:10:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कि भाईयों मैनें अपना पैसा लगाकर भूमि को समतल कराया है, खाद डालकर भूमि को उपजाउ बनाया है, अब तुम इस पर कैसे कब्जा कर सकते हो। सायला द्वारा गैरसायलान से उक्त आराजीयात के विधिवत बंटवारा करवाने की कहा गया जिस पर गैरसायलान द्वारा उक्त आराजीयात के विधिवत बंटवारा करने से मना कर दिया और कहा कि हम उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं करोगे, हम तो भूमि की अदला–बदली करके ही काश्त करेगें। सायला ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इसलिये प्रार्थनापत्र दायर करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे किवे आराजी खसरान0 3902 रकबा 2.60 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में बहिस्सा 20/49 से सायला को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना हि किसी अन्य से करावे, जिससे सायला के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 व 4, 5 की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एवं श्री मोहन अवस्थी अधिवक्ता ने वकालतानामा पेश किया। गैरसायलान बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। गैरसायलान 1 की ओर से जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र का मद नं. 1 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है. अस्वीकार है। सायला ने दावा बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा बिल्कुल ही गलत आधारों पर पेश किया है जिसमें सायला को सफलता मिलने की लैशमात्र भी उम्मीद नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 में आराजी खसरा नं. 3902 रकबा 2 60 हैक्टेयर स्थित ग्राम कटकड, तहसील हिण्डौन सिटी में सायला का 20/49 हिस्सा होना स्वीकार है तथा उक्त आराजीयात में गैरसायल सं. 1 के पिता जौहरी का 27/980 हिस्सा तथा गैरसायल सं. [illegible] बाई के पिता जौहरी का 27/980 हिस्सा तथा गैरसायल सं. 3 व 4 की माता उगन्ती का 27/980 हिस्सा व गैरसायल सं. 5 व 6 की माता कौशल्या का 27/90 हिरा हा रिकार्ड में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:10:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है तथा गैरसायंल में 7 लगायत 12 उक्त भूमि में अनी मेरखातेदार दर्ज है तथा जब तक गैरसायल सं. 7 लगायत 12 को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते तब तक उका भूमि का बंटवारा कराने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। बंटवारे का दावा खातेदार के द्वारा ही पेश किया जाता है. इस प्रकार गैरसायल सं. 7 लगायत 12 को सायला ने गलत पक्षकार बनाया है। गैरखातेदार को उक्त भूमि कर बैटवारा कराने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

3. प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। दिनांक 10.07.2022 को सायला अपने हिस्से की सार–संभाल नहीं कर रही थी तथा गैरसायलान एकराय होकर उक्त भूमि पर नही आये और ना ही उक्त मद में दर्ज कोई बातें सायला व गैरसायलान के मध्य हुई। उक्त मद में सारी बातों बिल्कुल बनावटी व काल्पनिक दर्ज की गई हैं। सायला व गैरसायलान के मध्य कोई बात ही नहीं हुई तो समझाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायला ने दावा व उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया है।
4. प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। सायला के पक्ष में प्राईमाफेसी केश, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू व सुविधा का संतुलन साबित नहीं है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में साबित हैं।

सायला ने गैरसायलान के खिलाफ उक्त उनवानी दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत आधारों पर पेश किया है। गैरसायलान उक्त भूमि के सहखातेदार है तथा गैरसायलान को सहखातेदार होने के कारण कानूननः अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूननः न्यायसंगत नहीं है. इस प्रकार सायला का प्रार्थना पत्र मेन्टेबिल नहीं होने के कारण मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायला ने गैरसायल सं. 7 लगायत 12 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है जो उक्त भूमि के गैरखातेदार हैं तथा गैरखातेदार को जब तक खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते तब तक उक्त भूमि में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते, इसलिए उक्त प्रकरण में मिस जोईडर ऑफ पार्टीज का नुक्श होने के कारण दावा व प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायला ने उक्त प्रकरण में दिनांक 22.07.2022 को एकतरफा में स्थगन आदेश प्राप्त कर गैरसायलान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलवाना पेश करने के आदेश पारित किये थे तथा रजिस्टर्ड नोटिस तलवाना पेश नहीं करने की सूरत में उक्त आदेश सुमोटो निष्प्रभावी होने के आदेश माननीय न्यायालय ने पारित किया था तथा उक्त प्रकरण में दिनाक 29.08.2022 तारीख नियत की गई थी तथा सायला ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:10:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आज तक रजिस्टर्ड ए. डी. तलवाना पेश नही किया गया जिसको करीबन ढाई साल का समय हो चुका है. इसलिए उक्त स्थगन आदेश अपने आप में ही समाप्त हो गया, इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायला ने उक्त प्रार्थना पत्र गैरसायलान को हरेशमेन्ट करने की गरज से पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज होने योग्य है। सायला क्लीन हैण्ड से माननीय न्यायालय के समक्ष नही आई है, इसलिए सायला माननीय न्यायालय ने कोई रिलीफ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायला विरुद्ध गैरसायलान मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

गैरसायलान संख्या 10 ता 12 की ओर से जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:—

1. प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 01 में सायल द्वारा गैरसावलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में पेश करना सही है, लेकिन उक्त दावा बिल्कुल गलत व तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।
2. प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 में अंकित खसरा नम्बर 3902 रकवा 2.60 है० ग्राम कटकड़, तहसील हिण्डौन में सायला मुताबिक रिकॉर्ड 20/49 हिस्से की खातेदार दर्ज है. लेकिन उक्त आराजी में सायला का कोई कब्जा किसी प्रकार का नहीं है तथा उक्त आराजी में श्रीमन पुत्र लल्लू मीना अर्थात गैरसायल नम्बर 10 ता 12 का पिता प्रारम्भ से ही खातेदार काश्तकार दर्ज रहा है तथा उक्त आराजी में उसका हिस्सा 98/245 मुताबिक रिकॉर्ड रहा है और वह अपने हिस्से पर काबिज व दखील रहा है. लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से उक्त आराजी में उसकी जाति मीना के स्थान पर ब्राह्मण दर्ज कर दी है, जिसका कि उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं रहा है। इस प्रकार गैरसायल नम्बर 10 ता 12 उक्त आराजी खसरा नम्बर 3902 के सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र गलत दायर किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।
3. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 03 गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 10.07.2022 को सायला अपने किसी हिस्से की सार संभाल नहीं कर रही थी तो ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:10:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

स्थिति में गैरसायलान का एकराय होकरआना और उक्त मद में वर्णित तथ्य सायला से कहने का और सायला को, किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सायला का उक्त भूमि पर जब कोई कब्जा किसी प्रकार का है ही नहीं तो उक्त दिनांक को सायला व गैरसावलान के मध्य उक्त मद में वर्णित वार्तालाप होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सायला द्वारा विल्कुल गलत व झूठे बनावटी तथ्य महज कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट करने की गरज से दर्ज किये हैं. प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 04 गलत होने से अस्वीकार है। सायला के हक में कोई प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु साबित नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

विवादित आराजी खसरा नम्बर 3902 रकवा 2.60 है० स्थित ग्राम कटकड़ संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा कानूनन सहखातेदार को पाबन्द नहीं किया जा सकता, ऐसी सूरत में मुताबिक कानून प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। सायला क्लीनहैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आई है. उसने तथ्यों को छिपाकर दावा/प्रार्थना पत्र पेश किये हैं, ऐसी स्थिति में सायला कोई भी साम्य की दादरसी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में गैरसायल न0 6, 7 ता 9, 13 बाबजूद सूचना उपस्थितनही होने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2071–74 खाता संख्या 235 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे किवे आराजी खसरान0 3902 रकबा 2.60 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में बहिस्सा 20/49 से सायला को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना हि किसी अन्य से करावे, जिससे सायला के हक [illegible] विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये [illegible] किया। वकील गैरसायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:10:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायला ने गैरसायलान के खिलाफ उक्त उनवानी दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत आधारों पर पेश किया है। गैरसायलान उक्त भूमि के सहखातेदार है तथा गैरसायलान को सहखातेदार होने के कारण कानूनन: अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन: न्यायसंगत नहीं है. इस प्रकार सायला का प्रार्थना पत्र मेन्टेबिल नहीं होने के कारण मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायला ने गैरसायल सं. 7 लगायत 12 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है जो उक्त भूमि के गैरखातेदार हैं तथा गैरखातेदार को जब तक खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते तब तक उक्त भूमि में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते, इसलिए उक्त प्रकरण में मिस जोईन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्श होने के कारण दावा व प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायला ने उक्त प्रकरण में दिनांक 22.07.2022 को एकतरफा में स्थगन आदेश प्राप्त कर गैरसायलान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलवाना पेश करने के आदेश पारित किये थे तथा रजिस्टर्ड नोटिस तलवाना पेश नहीं करने की सूरत में उक्त आदेश सुमोटो निष्प्रभावी होने का आदेश माननीय न्यायालय ने पारित किया था तथा उक्त प्रकरण में दिनाक 29.08.2022 तारीख नियत की गई थी तथा सायला ने माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आज तक रजिस्टर्ड ए. डी. तलवाना पेश नही किया गया जिसको करीबन ढाई साल का समय हो चुका है. इसलिए उक्त स्थगन आदेश अपने आप में ही समाप्त हो गया, इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायला ने उक्त प्रार्थना पत्र गैरसायलान को हरेशमेन्ट करने की गरज से पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज होने योग्य है। सायला क्लीन हैण्ड से माननीय न्यायालय के समक्ष नही आई है, इसलिए सायला माननीय न्यायालय ने कोई रिलीफ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायला विरुद्ध गैरसायलान मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2071–74 खाता संख्या 235 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन के सायलान एवं गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच–इंच भूमि पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिक रूप से बटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे।ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:10:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है।इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 3902 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति के संबंध में दिनांक 27.07.2022 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश विर्ड्रो किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 6/5/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 6/5/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:10:25 IST
Reason: SelfAttested